न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— पवन कुमार आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या—88 / 2023
आर.सी.एम.एस नं. :—2023 / 290

1. अजमेरी डायसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड सोफिया गर्ल्स स्कूल जरिये प्राधिकृत सिस्टर सुपिरियर नाम सिस्टर जोयस पुत्री रोक्यू पेरिया तहसील व जिला बीकानेर।

........प्रार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार बीकानेर।
2. अजमेरी डायसेस कोर्पोरेशन लिमिटेड बॉयज स्कूल जयपुर रोड़ बीकानेर।

.......अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

अभिभाषक उपस्थितिः—

1. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री हरीश मदान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2
3. श्री पेरोकार राज स्टेट की ओर से।

दिनांक—29.09.2023

—:निर्णयः—

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रिड़मलसर पुरोहितान तहसील व जिला बीकानेर स्थित भूमि खसरा नं. 46 / 19 तादादी 7 बीघा एवं 47 / 19 तादादी 18 बीघा अजमेरी डायसेस कोर्पोरेशन लिमिटेड बॉयज स्कूल जरिये फादर जोकिया कौयल के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही थी, जिसका इंतकाल संख्या 43 स्वीकृत था। इसी कदर ग्राम रिड़मलसर पुरोहितान तहसील व जिला बीकानेर के खसरा नं. 46 / 19 तादादी 25 बीघा अजमेरी डायसेस कोर्पोरेशन लिमिटेड सोफिया गर्ल्स स्कूल जरिये सिस्टर सुपिरियर के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रहा था इस संबंध में इंतकाल सं. 42 भी स्वीकृत है। उक्त भूमियां उक्त नामों से ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही थी लेकिन सम्वत 2038—40 गिरदावरी बनाते समय सहवन से सम्पूर्ण भूमि अजमेरी डायसेस कोर्पोरेशन लिमिटेड बॉयज स्कूल जरिये फादर जोकिया कौयल के नाम से दर्ज कर दी गई। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं होने के कारण प्रार्थी अपनी उक्त स्कूल का सुधार सही ढंग से नहीं करवा पा रहे है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की भूमि बाबत इंतकाल सं. 42 एवं 43 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर प्रार्थी के नाम अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करें।

इस पर प्रकरण को दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। तहसीलदार बीकानेर के पत्रांक तबी / कोर्ट / 2023 / 1162 दिनांक 26.09.2023 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मुताबिक रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त भूमि संवत 2021 से 2037 तक की गिरदावरी में पृथक—पृथक दोनों स्कूलों के नाम से रिकॉर्ड में दर्ज रही है, लेकिन सम्वत 2038 से 2040 की गिरदावरी व संवत 2037 से 2040 की जमाबंदी लिखते समय सहवन से सम्पूर्ण भूमि अजमेरी डायसेस कोर्पोरेशन लिमिटेड बॉयज स्कूल जरिये फादर जोकिया कौयल सा0 बीकानेर के नाम दर्ज कर दी गई, जबकि खसरा नं. 46 / 19 रकबा 25 बीघा अजमेरी डायसेस कोर्पोरेशन लिमिटेड सोफिया गर्ल्स स्कूल जरिये सिस्टर सुपिरियर सा0 बीकानेर एवं खसरा नं. 46 / 19 रकबा 7 बीघा तथा 47 / 19 रकबा 18 बीघा कुल 25 बीघा भूमि अजमेरी डायसेस कोर्पोरेशन लिमिटेड बॉयज स्कूल जरिये फादर जोकिया कौयल सा0 बीकानेर के नाम दर्ज होनी थी। अतः पूर्व की भांति दर्ज खसरा अनुसार दोनों स्कूलों के नाम पृथक—पृथक खातों में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

इसके पश्चात प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण पत्रावली आज की पेशी में लेकर निस्तारण करने की कृपा करें। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से श्री हरीश मदान अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। प्रार्थी के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्रावली आईन्दा दिनांक 29.06.2023 को वास्ते जवाब अप्रार्थी सं. 2 तथा बहस हेतु निर्धारित की गई। इसके पश्चात नियत दिनांक को उभयपक्ष उपस्थित आये। प्रार्थी की ओर

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

से सुपीरियर पुत्री रोक्यू पेरिया तथा थोमस पीउस डिसूजा पुत्र एडम डिसूजा जाति इसाई निवासी बिशप हाउस आर.सी.डी.एस. केसरगंज अजमेर की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता ने कथन किया गया कि इंतकाल सं. 42 व 43 के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिये जावे तो कोई एतराज नहीं है।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तहसीलदार बीकानेर की रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त भूमि संवत 2021 से 2037 तक की गिरदावरी में पृथक–पृथक दोनों स्कूलों के नाम से रिकॉर्ड में दर्ज रही है, लेकिन सम्वत 2038 से 2040 की गिरदावरी व संवत 2037 से 2040 की जमाबंदी लिखते समय सहवन से सम्पूर्ण भूमि अजमेरी डायसेस कोर्पोरेशन लिमिटेड बॉयज स्कूल जरिये फादर जोकिया कौयल सा0 बीकानेर के नाम दर्ज कर दी गई। अप्रार्थी सं. 2 के द्वारा भी पूर्व अनुसार शुद्धि किये जाने हेतु अपनी अनापत्ति जाहिर की है। अतः इन्तकाल सं. 42 एवं 43 के साथ–साथ इन्तकल सं. 40 के अनुसार शुद्धि किया जाना न्यायालय की राय में न्यायोचित है।

–:आदेश:–

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पूर्व में दर्ज इन्तकाल सं. 42 के अनुसार ग्राम रिड़मलसर के खसरा सं. 46/19 की 25 बीघा भूमि अजमेरी डायसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड सोफिया गर्ल्स स्कूल को सिस्टर सुपीरियर तथा इन्तकाल सं. 40 एवं 43 के अनुसार ग्राम रिड़मलसर की खसरा सं. 46/19 की 7 बीघा तथा खसरा सं. 47/19 की 18 बीघा भूमि अजमेरी डायसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड बॉयज स्कूल जरिये फादर जोकिया कोयल के नाम से रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार बीकानेर को दिये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार बीकानेर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तमिल तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर